>

Title: Situation arising out of the harassment of people seeking information under Right to Information Act in Jalaun Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन गरौठा के अंतर्गत जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उन्हें वे सूचनाएं प्राप्त नहीं करायी जा रही हैं। सूचना के रूप में जनपद झांसी के गुरसराय ब्लाक में ग्राम सभा ढिवकई में हो रहे ग्रामसभा के कार्य की जानकारी, वहां के निवासी भारत सिंह तथा वीर सिंह ने वहां के खंड विकास अधिकारी को दस रूपए के चालान में लगाकर प्रार्थना-पत्र दिया। [p78]

लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। उसके बावजूद भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने शिकायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद भी उन्हें वहां की जो सूचना दी गई है...(व्यवधान)

---

*English translation of the speech originally delivered in Kannada.

**सभापति महोदय :** आपकी मांग क्या है? आपकी मांग सैंट्रल गवर्नमैंट से है या स्टेट गवर्नमैंट से है?

â€¦(व्यवधान)

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** उन्होंने जो सूचना मांगी थी, वह सूचना उन्हें प्राप्त नहीं करवाई गई।...(व्यवधान) उन्होंने फिर अभिलेख प्राप्त करने के लिए 15.05.2008 को 50 रुपये का चालान भेजकर शिकायत भेजी। जब शिकायत सूचना आयोग में पंजीकृत हो गई, तब उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके खिलाफ गलत मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, यहां तक कि उनकी माता, जो दस साल पूर्व वहां की प्रधान रही हैं, उनके खिलाफ रिकवरी की जा रही है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सूचना मांगी है, उन्हें सही अभिलेख प्राप्त करवाया जाए जिससे ग्राम सभा में होने वाली ...(व्यवधान) उनके ऊपर उत्पीड़न की कोई कार्यवाही न की जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम न किया जाए, यह मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।